

कार्यालय-निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर

क्रमांक : शिविरा-माध्य/मा-स/चित्रकला प्रति./2018-23/

दिनांक 23.08.2023

समस्त मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी एवं
पदेन जिला परियोजना समन्वयक,
समग्र शिक्षा।

विषय :- "विजन 2030" के सम्बन्ध में निबन्ध प्रतियोगिता आयोजन हेतु दिशा-निर्देश।

उपर्युक्त विषयान्तर्गत लेख है कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा राजस्थान को वर्ष 2030 तक विकसित राजस्थान बनाने के "विजन 2030" कार्यक्रम के संबंध में राज्य के समस्त उच्च माध्यमिक राजकीय एवं गैर राजकीय विद्यालयों में दिनांक : 08.09.2023 को प्रातः 09 बजे से 10 बजे के मध्य एक निबन्ध प्रतियोगिता का आयोजन किया जाना है। उक्त निबन्ध प्रतियोगिता हेतु विस्तृत दिशा-निर्देश निम्नानुसार है :-

1. प्रतियोगिता का विवरण :- उक्त निबन्ध प्रतियोगिता राज्य के समस्त राजकीय एवं गैर राजकीय विद्यालयों के विद्यार्थियों के मध्य 02 समूहों जूनियर तथा सीनियर में आयोजित की जाएगी, जिसमें जूनियर समूह में कक्षा 09 से 10 तथा सीनियर समूह में कक्षा 11 से 12 तक के विद्यार्थी भाग लेंगे। उक्त प्रतियोगिता का माध्यम हिन्दी तथा अंग्रेजी दोनों प्रकार का ही सकता है। हिन्दी माध्यम में निबन्ध प्रतियोगिता हेतु विषय "2030 में कैसा होगा मेरा राजस्थान" तथा अंग्रेजी माध्यम में निबन्ध प्रतियोगिता हेतु विषय " My Vision for My Rajasthan in 2030"

2. प्रतिभागियों हेतु निर्देश :- उक्त प्रतियोगिता के संबंध में संबंधित विषय की विस्तृत जानकारी के लिए संस्था प्रधान व शिक्षकों द्वारा विद्यार्थियों को "विजन 2030" बाबत विजन डाक्यूमेंट के संबंध में वेबसाइट <https://mission2030.rajasthan.gov.in/> पर उपलब्ध जानकारी के अध्ययन हेतु प्रेरित करें तथा समस्त प्रतिभागियों द्वारा निबन्ध लेखन से पूर्व संबंधित विद्यालय का नाम, एनआईसी कोड, विद्यार्थी का नाम, कक्षा एवं माध्यम का उल्लेख अनिवार्य रूप से किया जाना है।

3. संस्था प्रधानों हेतु निर्देश :- उक्त प्रतियोगिता हेतु संबंधित विषय की विस्तृत जानकारी के लिए "विजन 2030" बाबत विजन डाक्यूमेंट के संबंध में उक्त वेबसाइट पर उपलब्ध जानकारी को विद्यार्थियों के मध्य साझा करते हुए "नो बेग डे" दिनांक : 02.09.2023 (शनिवार) को शिक्षकों द्वारा विद्यार्थियों को विजन डाक्यूमेंट तथा निबन्ध प्रतियोगिता के बारे में मार्गदर्शन प्रदान करेंगे। इस संबंध में संस्था प्रधान कुछ शिक्षकों को निर्देशित करें।

4. आयोजन तथा चयन प्रक्रिया :-

- 1) विद्यालय स्तर पर कक्षा 09 से 10 तथा 11 से 12 के विद्यार्थियों द्वारा दिनांक : 08.09.2023 को प्रातः 09 से 10 बजे प्रतियोगिता आयोजन उपरांत विद्यालय द्वारा दोनों समूह वर्गों के 05-05 कुल 10 श्रेष्ठ निबन्ध रचनाओं को दिनांक : 08.09.2023 को दोपहर 03 बजे तक अपने संबंधित पीईईओ/यूसीईईओ कार्यालय को प्रेषित करना सुनिश्चित किया जाएगा।
- 2) पीईईओ/यूसीईईओ स्तर के कार्यालय अधीनस्थ विद्यालयों से प्राप्त समस्त निबन्ध रचनाओं का 03 सदस्यीय विशेषज्ञ समिति से मूल्यांकन करवाते हुए दोनों समूहों की कुल श्रेष्ठ 04 निबन्ध रचनाओं को दिनांक : 09.09.2023 को दोपहर 2.00 बजे तक संबंधित सीबीईओ (ब्लॉक) कार्यालय को प्रेषित करना सुनिश्चित करेंगे।
- 3) सीबीईओ (ब्लॉक) स्तर के कार्यालय अधीनस्थ कार्यालयों से प्राप्त समस्त निबन्ध रचनाओं का 03 सदस्यीय समिति जिसमें सीबीईओ तथा एसीबीईओ होंगे द्वारा मूल्यांकन करते हुए दोनों समूह वर्गों की कुल श्रेष्ठ 04 निबन्ध रचनाओं को दिनांक : 11.09.2023 को सायं 05 बजे तक संबंधित सीडीईओ (जिला) कार्यालय को प्रेषित करना सुनिश्चित करेंगे।
- 4) सीडीईओ (जिला) स्तर के कार्यालय नवीन गठित जिलों सहित अधीनस्थ कार्यालयों से प्राप्त समस्त निबन्ध रचनाओं का 03 सदस्यीय जिसमें सीडीईओ के अतिरिक्त DIET प्रधानाचार्य, कार्यालय में

01

कार्यरत एसीबीईओ/सहायक निदेशक आदि सदस्य होंगे से मूल्यांकन करवाते हुए दोनों समूह वर्गों की कुल श्रेष्ठ 04 निबन्ध रचनाओं को दिनांक : 13.09.2023 को प्रातः 10 बजे निदेशालय को प्रेषित करना सुनिश्चित करेंगे।

नोट :- नवीन जिले जहाँ सीडीईओ नहीं है वहाँ डीईओ (माध्यमिक) तथा वहाँ कार्यरत एडीईओ/समकक्ष अधिकारी उक्त दायित्व निभाएंगे।

- 5) निदेशालय (राज्य) स्तर द्वारा इस प्रकार 50 जिलों से प्राप्त 04 निबन्ध रचनाओं (50x4=200) कुल 200 निबन्ध रचनाएँ राज्य स्तरीय विशेषज्ञ समिति के समक्ष मूल्यांकन हेतु प्रस्तुत होंगी, जिनमें से प्रत्येक जिले की 01 श्रेष्ठ (50X1) कुल 50 निबन्ध रचनाओं सहित राज्य स्तर पर हिन्दी माध्यम, अंग्रेजी माध्यम, जूनियर एवं सीनियर समूह की 01-01 सर्वश्रेष्ठ रचना कुल 04 सर्वश्रेष्ठ राज्य स्तरीय रचनाओं का भी चयन दिनांक : 14.09.2023 तक किया जायेगा।

5. पुरस्कार वितरण संबंधी निर्देश :- उक्त निबन्ध लेखन प्रतियोगिता में भाग लेने वाले सभी प्रतिभागियों को विद्यालय स्तर पर प्रमाण-पत्र से सम्मानित किया जायेगा, जिसका प्रारूप संलग्न है। उक्त प्रमाण-पत्रों का मुद्रण संबंधित विद्यालय अपने विद्यार्थी कोष/स्कूल फेसिलिटी ग्रांट से अपने स्तर पर करवाया जाना सुनिश्चित करेंगे। राज्य स्तर पर चयनित प्रतिभागियों को नकद राशि के पुरस्कार से भी सम्मानित किया जायेगा।

संलग्न :- यथोक्त



23/8
(काना राम)

आइ.ए.एस.
निदेशक

माध्यमिक शिक्षा राजस्थान
बीकानेर

प्रतिलिपि : निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. निजी सचिव, शासन सचिव, स्कूल शिक्षा विभाग, जयपुर।
2. संयुक्त शासन सचिव, शिक्षा (ग्रुप-6) विभाग, जयपुर।
3. समस्त संभागीय संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा को समुचित पर्यवेक्षण एवं प्रभावी प्रबोधन हेतु।
4. सिस्टम एनालिस्ट, कम्प्यूटर अनुभाग, कार्यालय हाजा को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करवाने बाबत।
5. समस्त जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय)-माध्यमिक/प्रारम्भिक को पालनार्थ।
6. समस्त मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी एवं पदेन ब्लॉक संदर्भ केन्द्र प्रभारी, समग्र शिक्षा।
7. रक्षित पत्रावली।

23/8

निदेशक

माध्यमिक शिक्षा राजस्थान
बीकानेर